Court Case No - 444/23.

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

Summons

फाइल. सं. NCST/DEV-456/MP/3/2022-RO-BH

सेवा में,

डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला-बालाघाट,
नवीन कलेक्टर कार्यालय,
सिविल लाइंस बालाघाट
मध्य प्रदेश 481001
ई-मेल: dmbalaghat@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष **दिनांक 11.05.2023 को 02:30 बजे,**आयोग मुख्यालय, 6 वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एततद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. श्री महेश मड़ावी, ग्राम-पो-कटंगझरी, तहसील लालबर्रा, जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश को शासकीय कृषि भूमि का पट्टा प्रदाय किए जाने के सम्बंध श्री जेठूसिंह तेकाम (प्रांतीय प्रवक्ता) गोंडवाना महासभा (म.प्र.), सतारा, वार्ड नं 12, कटंगी, जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश का दिनांक 30.04.2022 का अभ्यावेदन।

सन्दर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 19.07.2022.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 02, मई, 2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

मोहर

न्यायालय अधिकारी
Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003